प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 411/2023

अनवान : –

1. सोहनलाल पुत्र सन्तलाल जाति महाजन निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. मोहनलाल पुत्र सन्तलाल जाति महाजन निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादीगण**

निर्णय **दिनांक: 31.05.2023**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा 5 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 47/46 के कुल खसरे 6 का कुल क्षेत्रफल 1.5180 है0 भूमि व खाता संख्या 158/144 की कुल 4.8070 है0 भूमि उपरोक्त दोनो खातो की भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं व खाता संख्या 140/136 की कुल 1.5180 है0 व खाता संख्या 105/100 की कुल 1.5180 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक सम्पति है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 सगे भाई है तथा उक्त भूमि बाबत वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने पारिवारिक समझोता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा 5 जीजीएम तहसील नोहर के प0 नं0 409/465 (152) के किला नं. 1, 2, 3, 4 प्रत्येक की 0.253 है0, 5/1 की 0.2270 है0, 5/2 की 0.026 गै0 मु0 रास्ता, 6/1 की 0.2280 है0, 6/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, 7, 8, 9, 10 प्रत्येक की 0.253 है0 व किला नं. 11 के मिन उत्तर की 0.126 है0, 12 के मिन उत्तर की 0.127 है0, 13 के मिन उत्तर की 126 है0, 14 के मिन उत्तर की 0.127 है0 15/1 के मिन उत्तर की 0.114 है0, 15/2 के मिन उत्तर की 0.012 है0 गै0 मु0 रास्ता की भूमि पर पर प्रतिवादी संख्या 1 मोहनलाल काबिज है एवं प0 नं0 409/465 (152) के किला नं. 11 के मिन दक्षिण की 0.127 है0, 1[illegible]न दक्षिण की 0.126 है0, 13 के मिन दक्षिण की 0.127 है0, 14 के मिन द[illegible] की 0.126 है0, [illegible]/1 के मिन दक्षिण की 0.114 है0 व 15/2 के मिन उत्तर की 0.013 है0, 16/1 की 0.2280 है0, 16/2 की [illegible] है0 गै0 मु0

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:36:31 IST
Reason: SelfAttested

रास्ता, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 प्रत्येक की 0.253 है0, 25/1 की 0.2280 है0, 25/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता की भूमि पर वादी सोहनलाल काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो मुझ को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादी का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

प्रकरण में प्रतिवाद संख्या 1 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादी स0 1 सगे भाई है तथा वादी एवं प्रतिवादी स0 1 का वाद भूमि बाबत बाहमी बंटवारा हो चुका है। मुताबिक बाहमी बंटवारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है। प्रकरण में प्रतिवादी स0 1 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार प्रस्तुत वाद में रोही मौजा 5 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 47/46 के कुल खसरे 6 का कुल क्षेत्रफल 1.5180 है0 भूमि व खाता संख्या 158/144 की कुल 4.8070 है0 भूमि उपरोक्त दोनो खातो की भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं व खाता संख्या 140/136 की कुल 1.5180 है0 व खाता संख्या 105/100 की कुल 1.5180 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित [illegible] होना साबित है। प्रतिवादी स0 1 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया [illegible] वादी डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। अतः वादी के [illegible] को प्रतिवादी स0 1 के द्वारा स्वीकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:36:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी की सहमति तथा वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 5 जीजीएम तहसील नोहर के प0 नं0 409/465 (152) के किला नं. 1, 2, 3, 4 प्रत्येक की 0.253 है0, 5/1 की 0.2270 है0, 5/2 की 0.026 गै0 मु0 रास्ता, 6/1 की 0.2280 है0, 6/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, 7, 8, 9, 10 प्रत्येक की 0.253 है0 व किला नं. 11 के मिन उत्तर की 0.126 है0, 12 के मिन उत्तर की 0.127 है0, 13 के मिन उत्तर की 126 है0, 14 के मिन उत्तर की 0.127 है0 15/1 के मिन उत्तर की 0.114 है0, 15/2 के मिन उत्तर की 0.012 है0 गै0 मु0 रास्ता की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 मोहनलाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प0 नं0 409/465 (152) के किला नं. 11 के मिन दक्षिण की 0.127 है0, 12 के मिन दक्षिण की 0.126 है0, 13 के मिन दक्षिण की 0.127 है0, 14 के मिन दक्षिण की 0.126 है0 15/1 के मिन दक्षिण की 0.114 है0 व 15/2 के मिन दक्षिण की 0.013 है0, 16/1 की 0.2280 है0, 16/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 प्रत्येक की 0.253 है0, 25/1 की 0.2280 है0, 25/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता की भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 31/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–नीमला

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:36:31 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 411/2023

अनवान : –

1. सोहनलाल पुत्र सन्तलाल जाति महाजन निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. मोहनलाल पुत्र सन्तलाल जाति महाजन निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 411 सन 2023 निर्णय दिनांक 31.05.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्रतिवादी की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 5 जीजीएम तहसील नोहर के प0 नं0 409/465 (152) के किला नं. 1, 2, 3, 4 प्रत्येक की 0.253 है0, 5/1 की 0.2270 है0, 5/2 की 0.026 गै0 मु0 रास्ता, 6/1 की 0.2280 है0, 6/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, 7, 8, 9, 10 प्रत्येक की 0.253 है0 व किला नं. 11 के मिन उत्तर की 0.126 है0, 12 के मिन उत्तर की 0.127 है0, 13 के मिन उत्तर की 126 है0, 14 के मिन उत्तर की 0.127 है0 15/1 के मिन उत्तर की 0.114 है0, 15/2 के मिन उत्तर की 0.012 है0 गै0 मु0 रास्ता की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 मोहनलाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प0 नं0 409/465 (152) के किला नं. 11 के मिन दक्षिण की 0.127 है0, 12 के मिन दक्षिण की 0.126 है0, 13 के मिन दक्षिण की 0.127 है0, 14 के मिन दक्षिण की 0.126 है0 15/1 के मिन दक्षिण की 0.114 है0 व 15/2 के मिन दक्षिण की 0.013 है0, 16/1 की 0.2280 है0, 16/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 प्रत्येक की 0.253 है0, 25/1 की 0.2280 है0, 25/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता की भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 31/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–नीमला

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:36:31 IST
Reason: SelfAttested